



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19072025-264828
CG-DL-E-19072025-264828

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3247]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 18, 2025/आषाढ़ 27, 1947

No. 3247]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 18, 2025/ASHADHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2025

का.आ. 3320 (अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) की धारा ३ के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय महामार्ग संख्या ७५३ एफ (माणगाव-म्हसाला से दिग्गीपोर्ट रोड सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन/बायपास बनाने आदि) अनुरक्षण प्रबंध और प्रचलन के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (४) (५) (६) और (७) में क्रमशः उल्लेखित जिलो, तालुको पुलिस थानो और गावो से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तंभ (३) तत्स्थानी प्रविष्टी में विनिर्दिष्ट भूखंड के संबंध में अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई अधिसूची के स्तंभ (२) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के आधीन सक्षम प्रधीकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -७५३ एफ पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	उपविभागीय अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग	महाराष्ट्र	रायगड	माणगाव	1 सुर्लेवाडी

	माणगाव	संख्या NH753F के कि.मी. 0 से कि.मी. 18.6 तक			
--	--------	---	--	--	--

[फा. सं. 12037/38/2017-MAH(P-6)]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July, 2025

S.O. 3320(E).—In exercise of the powers of conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, (48 of 1956) the central Gov. hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the schedule below as the competent authorities to perform the function of such authorities under said act with effect from the date of publication of this notification in this official Gazette. In respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said schedule relating to districts, taluka, police station and villages mentioned in column (4) (5) (6) and (7) respectively of the said schedule, for **building (widening/four lanining/Bypass etc) maintenance, management and operation of the National Highway 753F (Mangaon-Mahsala to Diggiport Road) District of Raigad in the State of Maharashtra.**

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH753F in the State of MAHARASHTRA.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub Divisional Officer Mangaon	NH753F KM 0 TO KM 18.6	MAHARASHTRA	RAIGAD	Mangaon	1 Surlewadi

[F. No. 12037/38/2017-MAH(P-6)]

SHAIKH AMINKHAN, Director